

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना


राँची, दिनांक— 31 / 12 / 2024 ई०।

13/पी०₂-103/2019- 7278/सी०, भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को दिनांक- 01.01.2025 के प्रभाव से भारतीय पुलिस सेवा के सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान—Level-13 of Pay Matrix में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम	बैच	अभ्युक्ति
1.	श्री किशोर कौशल, भा०पु०से०	2012	
2.	श्री अंजनी कुमार झा, भा०पु०से०	2012	
3.	श्री मो० अर्शी, भा०पु०से०	2012	
4.	श्री आनन्द प्रकाश, भा०पु०से०	2012	प्रोन्नति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इनको उपलब्ध कराये गये प्रशिक्षण के अगले स्लॉट में इनके द्वारा मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम फेज—III प्रशिक्षण पूरा कर लिया जाएगा।

2. प्रोन्नति के फलस्वरूप पदाधिकारी का वर्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


31.12.2024


(ओम प्रकाश तिवारी)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक—13/पी०₂-103/2019- 7278/

राँची, दिनांक— 31 / 12 / 2024 ई०।

प्रतिलिपि:—महालेखाकार, झारखण्ड, पो०—डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


31.12.2024

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक—13/पी०₂-103/2019- 7278/


राँची, दिनांक— 31 / 12 / 2024 ई०।

प्रतिलिपि:— नोडल पदाधिकारी, ई—गजट, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव /संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची/ महानिदेशक—सह—महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ, झारखण्ड, राँची/ महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची/अध्यक्ष—सह—प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि०, राँची/महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची/ सभी अपर पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड,

राँची/सभी पुलिस महानिरीक्षक/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी समादेष्टा, झारखण्ड/संबंधित पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-14, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रोन्नत सभी पदाधिकारी एफ०आर० 22(1)(ए)(2) के निम्नांकित प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं :-

"Under FR 22 (1) (a) (2) also there is a provision that on appointment on réguler basis to such new post, other than to an ex-cadre post on députation, the Government servant shall have the option, to be excersied within one month from the date of such appointment, for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post."


31.12.2024

सरकार के उप सचिव।